राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

क्रमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 जयपुर, दिनांक: 30.01.2022

आदेश

इस विभाग के आदेश कमांक पं. 7(1)कार्मिक/क–2/2019 दिनांक 30.01.2022 द्वारा राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं को सुचारू से आयोजित करने के उद्देश्य के दृष्टिगत सम्पूर्ण परीक्षा प्रकिया का विस्तृत अध्ययन कर सुधारात्मक सुझाव हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा अपने अध्ययन में मुख्यतः परीक्षा प्रकिया के निम्न पक्षों को सम्मिलित करते हुये सम्पूर्ण प्रकिया में सुधार हेतु सुझाव दिये जायेगें:–

1. विभिन्न पदों की परीक्षाओं के लिये प्रश्न बैंक के निर्माण में गोपनीयता।
2. प्रश्न–पत्र तैयार करने एवं प्रश्न–पत्र की प्रिन्टिंग की प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा एवं गोपनीयता का उच्चतम स्तर सुनिश्चित करने हेतु मापदण्डों के सम्बन्ध में सुझाव।
3. प्रिन्टिंग के पश्चात परीक्षा मुख्यालय तक प्रश्न–पत्रों के पहुॅचने के दौरान एवं तत्पश्चात संग्रहण केन्द्र पर प्रश्न–पत्रों की सुरक्षा एवं गोपनीयता।
4. प्रश्न–पत्र के परीक्षा केन्द्र तक पहुॅचने एवं पहुॅचने के पश्चात सुरक्षा एवं गोपनीयता के उपाय।
5. परीक्षा केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु आधारभूत संरचना, सुरक्षा एवं गोपनीयता सम्बन्धी मापदण्ड।
6. परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्र की सुरक्षा एवं गोपनीयता के मापदण्ड एवं उपाय।
7. परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र आवंटन की वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रकिया।
8. परीक्षा हेतु जिला समन्वयक, परीक्षा केन्द्र अधीक्षक, सुपरवाईजर एवं परीक्षा वीक्षक की भूमिका एवं दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण एवं किसी भी तरह की कोताही की स्थिति में अनुशासनात्मक कार्यवाही के सम्बन्ध में सुझाव।
9. परीक्षा सम्पन्न होने के पश्चात उत्तरपुस्तिका के गोपनीयतापूर्वक आयोग/बोर्ड तक परिवहन के सम्बन्ध में सुझाव।
10. उत्तरपुस्तिकाओं की जांच के दौरान एवं परीक्षा परिणाम जारी होने तक पूर्ण सुरक्षा, गोपनीयता एवं पारदर्शिता के सम्बन्ध मे सुझाव।

- उपयुर्क्त के अलावा परीक्षा प्रकिया की पारदर्शिता एवं गोपनीयता के दृष्टिगत अन्य कोई भी महत्वपूर्ण पहलू, जिसे समिति द्वारा उचित समझा जावे पर भी समिति द्वारा अध्ययन एवं परीक्षण किया जा सकेगा। अपने अध्ययन के दौरान आवश्यकतानुसार प्रशासनिक विभागों/एजेन्सियों, भर्ती संस्थाओं, जिला प्रशासन,

पुलिस प्रशासन एवं सम्बन्धित अधिकारियों से विचार–विमर्श कर सकेगी एवं रिकार्ड इत्यादि प्राप्त कर सकेगी।

- समिति का प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा।

समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट 45 दिवस की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेगी।

30/1/22

(हेमन्त कुमार गेरा)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री विजय कुमार व्यास।
4. श्री महेन्द्र लाल कुमावत, सेवानिवृत्त आई0पी0एस0 एवं पूर्व अध्यक्ष राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव /प्रमुख शासन सचिव/सचिव गण।
6. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
7. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
9. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(जय सिंह)
संयुक्त शासन सचिव